FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम लालसोट

मूलचन्द बनाम सरकार

किस्म मुकदमा 128, 111 LR Act नं. 53/प्रा.पत्र/24 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5-7-24	सरिश्ते से रिपोर्ट होकर प्रार्थना पत्र पेश हुआ। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर जारी नोटिस अप्रार्थीगण को तलबकर पत्रावली दिनांक 13-8-24 को पेश हो।	
13-8-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी सरकार पैरोकार तहसीलदार मण्डावरी स्वयं उपस्थित जवाब पेश नहीं कर सहमति बाबत हस्ताक्षर आदेशिका पर कराए गए। पत्रावली वास्ते बहस आगामी दिनांक 20-08-2024 को पेश हो।	TDR. मण्डावरी
20-8-24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किए जाने उपरान्त प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

53/प्रा.पत्र/2024
दायरा दिनांक 05.07.2024

पीठासीन अधिकारी
श्री कैलाश चन्द गुर्जर (RAS)

बउनवान

1. मूलचन्द पुत्र ग्यारसा जाति तेली निवासी बड़ाखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. दौलतराम पुत्र ग्यारसा जाति तेली निवासी बड़ाखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. रामराज पुत्र ग्यारसा जाति तेली निवासी बड़ाखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4. कैलाशी बाई पुत्री ग्यारसा जाति तेली निवासी बड़ाखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
5. गीता बाई पुत्री ग्यारसा जाति तेली निवासी बड़ाखेड़ा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

—प्रार्थिगण

बनाम

राजस्थान सरकार राजस्थान जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

—अप्रार्थी

अन्तर्गत धारा 128,111 एल. आर. एक्ट
प्रार्थीगण की ओर से :— श्री महेन्द्र रेबारी
अप्रार्थी की ओर से :— पैरोकार सरकार।

दिनांकः— 20.08.2024

—:आदेशः—

प्रार्थिगण की ओर से प्रार्थना—पत्र पेश किया गया है कि ग्राम पीपल्दा थाग पटवार हल्का माखीदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 22 पुराना 133 खसरा नं0 220 रकबा 1.5500हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.5500है0 जिसके खातेदार टीनेन्ट प्रार्थिगण है एवं काबिज काश्तकारी करते चले आ रहे है। जो खातेदारी हक

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

से दर्ज रिकॉर्ड होकर प्रार्थिगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की है। प्रार्थिगण अपने खाते की उक्त आराजी का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। प्रार्थिगण की कृषि भूमि के समीप ही अन्य कृषि भूमि है जिसके कारण प्रार्थिगण की कृषि भूमि दबी हुई है जिसके कारण आस–पास के पडौसी खातेदार द्वारा प्रार्थिगण की कृषि भूमि पर कब्जा करने की संभावना है और प्रार्थिगण की कुछ भूमि सिकुड़ी हुई है प्रार्थिगण की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर प्रार्थिगण की सीमाओं को मिटाना चाहते हैं। सीमांकन के संबंध में कोई वाद विवाद उत्पन्न न हो व प्रार्थिगण की कृषिभूमि सुरक्षित रहे इस कारण प्रार्थिगण की उक्त आराजी का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं। प्रार्थिगण को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया– प्रार्थिगण उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार है इन्हें आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढी कराने का अधिकार निहित है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी की तरफ से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली पर प्रार्थिगण अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बहस समाहत पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया। हमारे मत में प्रार्थिगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थिगण की कृषिभूमि ग्राम पीपल्दा थाग पटवार हल्का माखीदा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी के कृषि भूमि खाता संख्या नया 22 पुराना 133 खसरा नं0 220 रकबा 1.5500हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.5500है0 का टीनेन्ट प्रार्थिगण है एवं काबिज काश्त होकर काश्त करते चले आ रहे है। जो खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थिगण की खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नियमतः नपती कर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाकर पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रेस इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)